FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0013 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 26/01/2025 16:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/01/2025 **Date To (दिनांक तक):** 25/01/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:35 बजे **Time To (समय तक):** 09:11 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 26/01/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 26/01/2025 16:45:17 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** WEST, 90 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b)**Address(पता):** AAROPI KE ASTHAEI NIWAS ISTHAN KISAN SEWA KENDRA, BHU-ABHILEKH KARIYAL BHWAN, KETU KALAN ,JODHPUR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** RAMSINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SANGSINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1985 (d)**Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM KETUKALA, SEKHALA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM KETUKALA, SEKHALA, JODHPUR RURAL, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	KHEMCHAND SAINI		पिता:RAMCHANDRA	1. WARD NO.02,DERA WALI DHANEE,PAODAR COLLAGE KE PICHE,NAWALGARH,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे, श्रीमान अतिरिक्त पूलिस अधीक्षक ए सी बी जोधपूर ग्रामीण विषयः- रंगे हाथो रिश्वत लेते पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन हैं कि मै रामसिह पुत्र सागसिह उम्र-40 वर्ष जाति-राजपूत निवासी केतुकला, तहसील सेखाल, जोधपुर का रहने वाला हूं। मेने मेरे टयूबबैल पर बिजली कनेक्शन ले रखा है वर्तमान में मेरा कनेक्शन सिगल फेस में चल रहा है, जिसमें घर में लाईट हेतु व होद से पानी निकालने हेतु मोटर लगा रखी है। मेरे टयूबेल खराब होने के कारण अत कनेक्शन अब थ्री फेस की जगह सिगल फेस में जुडवा रखा है। उक्त बिल का मै नियमित भूगतान करता हूं। हमारे गांव केतूकला के लाईन मेन खेमचन्द मूझे एक लाख रूपये की शीट फाडने का भय दिखाकर 15000 रूपये की रिशवत मांग राहा है मै उसे रिश्वत नहीं देना चाहता उसे रिश्वत लेते हुए पकडवाना चाहता हूं मेरी खेमचन्द से कोई रंजिश नहीं है, तथा नहीं कोई खेमचन्द से लेनदेन बकाया है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करावे। मे मेरे बीजली बील की फोटो कोपी साथ पेश करता हूं। दिनांक 20.01.2025 भवदीय एसडी रामसिंह पुत्र सांगसिह जाती राजपूत निवासी केतूकला तसील सेखाला जोधपुर [redacted] कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण कार्यवाही पुलिस निवेदन हैं कि दिनांक 20.01.2025 को वक्त 11.35 ए.एम. पर कार्यालय हाजा में मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण के समक्ष परिवादी श्री रामसिह पुत्र सागसिह उम्र-40 वर्ष जाति-राजपूत निवासी केतुकला, तहसील सेखाला, जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट पेश कर दरियाफ्त पर बताया कि मैने मेरे ट्यूबवेल पर बिजली कनेक्शन ले रखा है वर्तमान में मेरा कनेक्शन सिगल फेस में चल रहा है, जिसमें घर में लाईट हेतु व होद से पानी निकालने हेतु मोटर लगा रखी है। मेरे ट्यूबवेल खराब होने के कारण कनेक्शन अब थ्री फेस की जगह सिगल फेस में जुडवा रखा है तथा बिल का मै नियमित रूप से भुगतान करता हूं। हमारे गांव केतूकला के लाईनमैन खेमचन्द मुझे एक लाख रूपये की शीट फाडने का भय दिखाकर 15,000/- रूपये की रिश्वत मांग रहा है। मजमून से मामला भ्र.नि.अ. (पी.सी. एक्ट) 1988 (यथा संशोधित 2018) का पाया जाने से रिश्वत राशि मांग सत्यापन व अन्य आवश्यक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया। दिनांक 20.01.2025 को वक्त 11.55 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण ने कार्यालय मे उपस्थित श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय कक्ष में तलब कर श्री रामकिशोर कानि. 13 से परिवादी श्री रामसिंह का आपसी परिचय करवाकर कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर सुरक्षित अलमारी से निकलवाकर परिवादी श्री रामसिंह एवं श्री रामकिशोर कानि. 13 को कार्यालय का डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चलाना व बंद करने की समझाईस की जाकर परिवादी रामसिंह व श्री रामकिशोर कानि. 13 के मोबाईल नम्बरो का आपस में आदान प्रदान करवाया गया। परिवादी श्री रामसिंह ने बताया कि आज लाईनमैन श्री खेमचन्द मिलना मुशिकल है आईन्दा श्री खेमचन्द केतूकला उपस्थित होने पर मैं आपको सुचित कर दुंगा। जिस पर परिवादी श्री रामसिंह को आवश्यक गोपनीयता बरतने एवं संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमेन की उपस्थिती के बारे में मालुमात होने पर शीघ्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुचित करे ताकि श्री रामकिशोर कानि. को आपके पास भेज कर रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करवाई जाने से सम्बन्धी हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 21.01.2025 को वक्त 12.40 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 ने कार्यालय कक्ष में उपस्थित होकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि आज दिनांक 21.01.2025 को वक्त 12.28 पी.एम. पर मैने परिवादी श्री रामसिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मेरे मोबाईल [redacted] से कांल किया तो परिवादी श्री रामसिंह ने मुझे बताया कि श्री खेमचन्द लाईनमैन आज गांव केतूकलां में अपने अस्थाई निवास स्थान पर उपस्थित है। आज मांग सत्यापन वार्ता हो सकती है, आप आ जावों मै आपको 54 मील चोराहे पर उपस्थित मिल जाउंगा। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय का डिजिटल वांयस रिकार्ड निकालकर उसमे नया मेमोरी कार्ड डाल कर उक्त डिजिटल वांयस रिकार्डर की मेमोरी एवं नये मेमोरी कार्ड को खाली होना सुनिश्चित कर उक्त डिजिटल वांयस रिकार्डर श्री रामकिशोर कानि. को सुपुर्द कर परिवादी श्री रामसिंह से सम्पर्क कर आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन एवं परिवादी के मध्य रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता को रिकार्ड कर लाने की हिदायत देकर गांव केतूकलां के लिए रवाना किया गया। तत्पश्चात वक्त 7.26 पी.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण को श्री रामकिशोर कानि. 13 ने अपने मोबाईल फोन से मेरे मोबाईल पर कांल कर बताया कि मैं कार्यालय से रवाना होकर जरिये बस 54 मील चोराहे पर पहुंचा जहां पर परिवादी श्री रामसिंह अपनी कार के साथ उपस्थित मिला जिस पर मैने

परिवादी श्री रामसिंह से संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन की उपस्थिती के सम्बन्ध में पुछा तो परिवादी श्री रामसिंह ने गोपनीय रूप से मालूम कर मुझे बताया कि श्री खेमचन्द लाईनमैन अपने अस्थाई निवास पर केतूकला में ही है। जिस पर मैं व परिवादी श्री रामसिंह परिवादी की निजी कार से रवाना होकर ग्राम केतूकला में स्थित श्री खेमचन्द लाईनमैन के अस्थाई निवास के पास पहुचे जहा पर परिवादी की कार को एक तरफ रूकवाकर मैने कार्यालय का डिजिटल वांयस रिकार्डर को चालु कर परिवादी श्री रामसिंह के पहने हुए कमीज के सामने की उपर की बांई जेब में डालकर परिवादी को श्री खेमचन्द लाईनमैन से वार्ता करने हेतु श्री खेमचन्द लाईनमैन के अस्थाई निवास स्थान की तरफ पैदल ही रवाना कर मैं वही आस-पास अपनी उपस्थिती छुपाते हुए खडा रहा। कुछ समय पश्चात परिवादी श्री रामसिंह मेरे पास उपस्थित आया व डिजिटल वायॅस रिकार्डर अपनी जेब से निकाल कर चालु हालत में मुझे सुपर्द किया जिस पर मैने डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच आंफ कर अपने पास सुरक्षित रखा तथा परिवादी ने मुझे बताया कि मैं आपके पास से रवाना होकर श्री खेमचन्द लाईनमेन के अस्थाई निवास स्थान पहुंचा जंहा पर मुझे श्री खेमचन्द लाईनमेन उपस्थित मिले जिनसे मेरी वार्ता हुई दौराने वार्ता श्री खेमचन्द लाईनमैन ने मेरे से मेरे बिजली कनेक्शन पर एक लाख रूपये की शीट नही फाडने की एवज में 15,000/-रू. रिश्वत की मांगकर दौराने वार्ता श्री खेमचन्द लाईनमैन ने मेरे से 3,000/- रूपये की मांग जिस पर मैने मेरे पास रखे 3,000 रूपये उनको दिये जिस पर श्री खेमचन्द लाईनमैन द्वारा शेष राशि 12,000/- रूपये मेरे से मांगने पर मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर दस हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत होकर आईन्दा रिश्वत राशि 10,000/-रूपये लेकर आने हेतु कहा है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. को निर्देशित किया कि परिवादी श्री रामसिंह को गोपनीयता बरतने एवं रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था हो जाने पर सुचित करने की हिदायत देकर वही पर छोडा जाने एवं कार्यालय डिजिटल वायॅस रिकार्डर लेकर कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत दी गई। वक्त 11.10 पी.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 उपस्थित कार्यालय आया एवं डिजिटल वायॅस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड स्विच आंफ शुदा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस को सुपुर्द कर उपरोक्तानुसार हालात निवेदन किये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त कार्यालय के डिजिटल वायॅस रिकार्डर को चालु कर उसमें रिकार्ड वार्ता को सुना गया तो आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन द्वारा परिवादी से एक लाख रूपये की शीट नहीं फाडने की एवज में 15,000/-रू. रिश्वत की मांग करना तथा परिवादी श्री रामसिंह से दौराने वार्ता 3,000/- रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष राशि 12,000/- रूपये में से परिवादी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर दस हजार रू. रिश्वत राशि लेने पर सहमति प्रदान करना तथा आईन्दा रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा है। श्री खेमचन्द लाईनमैन द्वारा परिवादी श्री रामसिंह से दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन 15,000/- रिश्वत राशि की मांग करना तथा दौराने वार्ता 3,000/- प्राप्त करना तथा दस हजार रू. रिश्वती राशि की मांग करना पाया गया। तत्पश्चात डिजिटल वायॅस रिकार्डर को स्विच आंफ कर अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा आईन्दा फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। दिनांक 23.01.2025 को वक्त 11.27 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपने मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री रामसिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कांल किया तो परिवादी श्री रामसिंह ने बताया कि मेरे पास श्री खेमचन्द लाईनमैन को रिश्वत में दी जाने वाले राशि की व्यवस्था हो गई है तथा श्री खेमचन्द लाईनमैन कल दिनांक 24.01.2025 को अपने गांव केतुकला में अपने अस्थाई निवास पर उपस्थित मिल सकते है। जिस पर परिवादी को कल दिनांक 24.01.2025 को 10 ए.एम पर रिश्वत में दी जाने वाली राशि 10,000/ रूपये अपने साथ लेकर कार्यालय में उपस्थित आने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 24.01.2025 को वक्तः-10.35 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्रीमान उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल कुडी भगतासनी जोधपुर के नाम से पत्र क्रमांक 170 दिनांक 24.01.2025 तैयार कर दो स्वतंत्र गवाहान लाने हेतु श्री रामकिशोर कानि 13 को उक्त पत्र सुपुर्द कर मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक के रवाना कार्यालय आवासन मण्डल कुडी भगतासनी जोधपुर को किया गया। तत्पश्चात वक्त 11.15 ए.एम पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री रामसिंह कार्यालय में उपस्थित आया एवं मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पूर्व में श्री रामकिशोर कानि के बताये गये हालात की ताईद करते हुए बताया कि मैं सग्दिध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10,000/- रूपये लेकर उपस्थित आया हुं। वक्त 12.05 ए.एम. पर श्री रामकिशोर कानि. 13 मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम कानि. चालक उपरोक्त फिकरा के कार्यालय श्रीमान उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल कुडी भगतासनी जोधपुर गये हुए दो कार्मिकों को लेकर कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये जिस पर उक्त दोनों कार्मिको को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना परिचय देकर उक्त दोनो कार्मिकों से उनका बारी-बारी से परिचय प्राप्त किया जाने पर श्री महेन्द्रसिंह पुत्र स्व. श्री रणछोडसिंह जाति माली उम्र 56 वर्ष निवासी भाटी चोराहा मंगरा पूजला मण्डोर पुलिस थाना माता का थान पुलिस आयुक्तालय जोधपुर हाल सूचना सहायक कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल कुडी भगतासनी जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] व श्री जसवन्तसिंह पुत्र स्व. श्री सुरजनसिंह जाति रावणा राजपूत उम्र 56 वर्ष निवासी सेक्टर 25 बी मकान नम्बर 17 चैपासनी हाउसिंग बोर्ड पुलिस थाना हाउसिंग बोर्ड पुलिस आयुक्तालय जोधपुर हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय उप आवासन आयुक्त वृत प्रथम राजस्थान आवासन मण्डल कुडी भगतासनी जोधपुर मोबाईल नम्बर [redacted] होना

बताया। तत्पश्चात वक्त 12.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय में पूर्व से उपस्थित परिवादी श्री रामसिंह एवं उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान का आपसी परिचय करवाया गया। तत्पश्चात उक्त दोनो स्वतंत्र गवाहान को बुलाने के मन्तव्य से अवगत करवाया जाकर परिवादी श्री रामसिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढकर सुनाया गया एवं पढने को दी गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने पास सुरक्षित रखा कार्यालय के डिजिटल वायॅस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री रामसिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 21.01.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है उक्त वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश सुनाया गया। जिस पर दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे अंकित तथ्यो के संबंध मे परिवादी से पूछताछ कर तसल्ली कर ट्रेप कार्यवाही में स्वतंत्र गवाहान रहने की मौखिक स्वीकृति प्रदान की एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान ने परिवादी की लिखित रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजात पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त 2.00 पी.एम. पर उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी रामसिंह पुत्र श्री सांगसिह जाति राजपूत उम्र 43 साल निवासी केतु कंला सेखाला जिला जोधपुर ने रिश्वत में दिये जाने वाली राशि 10,000 /- रूपये जिसमें 500-500 रूपये के कुल 20 नोट प्रस्तुत किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटो के नंबर निम्नानुसार है- क्र.सं. नोट का विवरण 1. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8UF 034508 2. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7BB 395662 3. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9AQ 365872 4. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7EV 625799 5. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 2KB 512161 6. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9KV 629594 7. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8AM 032101 8. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4KG 156112 9. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8NM 260960 10. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9TR 737396 11. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7GD 001652 12. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 0RN 649634 13. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 9DU 086614 14. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 7UE 143079 15. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 3TU 301447 16. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 4UC 559969 17. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6SU 876253 18. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 6FP 116801 19. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 8AV 863789 20. 500 रूपये का एक नोट नम्बर 5WP 332279 मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर संदिग्ध आरोपी को दी जाने वाली उपरोक्त रिश्वती राशि 10,000/-रू. भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को सुपुर्द कर एक पुराने अखबार पर रखवाये जाकर उक्त सभी नोटो पर श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से हल्का-हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामसिंह की जामा तलाशी स्वतन्त्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह से लिरवाई गई तो परिवादी के बदन पर पहने हुए कपड़ो में मोबाइल फोन के अलावा कोई आपत्तिजनक राशि अथवा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। ताबाद फिनोफथलीन पाउडर युक्त 10,000/- रुपये भारतीय मुद्रा के नोटो को श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से ही परिवादी श्री रामसिंह के पहनी हुई पेन्ट की आगे की बांयी जेब में रखवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई की वह अपनी जेब मे रखे उक्त नोटों को रास्ते में हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी द्वारा मांगने पर ही निकालकर उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात एवं पूर्व आरोपी से हाथ नहीं मिलायें, यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से दोनो हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता है अथवा कहां छुपाता हैं का भी ध्यान रखें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गई कि आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर अपने मोबाईल नं. [redacted] से मन् पारस सोनी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर मिस कांल/ कांल अथवा अपने दोनो हाथ सिर पर दो बार आगे से पीछे की तरफ फेर कर गोपनीय ईशारा करें ताकि मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वत राशि के लेन-देन होने का पता चल सके। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दोनो स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी के सदस्यों को हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वत राशि लेन-देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् एक नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास में साफ पानी भरवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। गिलास के उक्त रंगहीन घोल में नोटो पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुष्ठ को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह हाजरीन को समझाईश की गई की जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगाएंगा तो उसके हाथो की अंगुलियो व अंगुठे को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफथलीन पाउडर युक्त राशि प्राप्त की हैं। इस प्रकार दृष्टान्त की क्रिया-अभिक्रिया को भली-भांति समझाया जाकर दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वाश बेसिन में रूबरू गवाहान के श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक से डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा जिस अखबार पर नोट रखकर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार तथा पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलास को जलाकर नष्ट करवाया गया। ट्रेप सामग्री किट, चम्मच, खाली पव्वों इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह दो बार धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये तथा नई पारदर्शी डिस्पोजल प्लास्टिक गिलासे ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। इसके पश्चात् परिवादी को

छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 8300/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी में एवं साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात श्री ओमप्रकाश कनिष्ठ सहायक को फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखवाई जाकर कनिष्ठ सहायक को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत की गई। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी, भारतीय मुद्रा एवं भारतीय मुद्रा के नोट एवं सुपुदर्गी तथा दृष्टान्ंत फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। अब तक के हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया। तत्पश्चात वक्त 4.00 पी.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामसिंह से संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन की उपस्थिति के बारे में मालुमात करने हेतु कहा गया तो परिवादी श्री रामसिंह ने गोपनीय रूप से मालुम कर बताया कि संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन अपने अस्थाई निवास केतूकलां पर उपस्थित नही हैं वह कहीं बाहर गया है जो कल दिनांक 25.01.2025 को सुबह अपने अस्थाई निवास स्थान पर मिल जायेगा। जिस पर आज ट्रेप कार्यवाही होना सम्भव नही होने से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही आईन्दा करने का निर्णय लिया जाकर हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। तत्पश्चात परिवादी श्री रामसिंह को पूर्व में सुपुर्द की गई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये परिवादी श्री रामसिंह के पहनी हुई पेन्ट के आगे की बायी जेब से स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक से निकलवाई जाकर उक्त राशि को एक सफेद लिफाफे में डलवाकर कर, रिश्वत राशि 10,000/- रुपये सफेद लिफाफे को स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह सूचना से सुरक्षित अलमारी मे रखवाई जाकर अलमारी का लाकॅ लगाकर चाबी मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के कब्जे मे ली गई। परिवादी श्री रामसिंह को अब तक की कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा कल दिनांक 25.01.2025 को 54 मील चोराहे के पास गोपनीय स्थान पर उपस्थित मिलने की हिदायत कर रुखसत किया गया साथ ही दोनो स्वतंत्र गवाहान को अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने तथा कल दिनांक 25.01.2025 को 7.00 एएम कार्यालय पर उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया तथा ब्यूरो जाब्ता दिनांक 25.01.2025 को 7.00 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया तथा ट्रेप कार्यवाही सहयोग हेतु 01 महिला हैड कानि व एक सहायक उपनिरीक्षक पुलिस कल दिनांक 25.01.2025 को वक्त 7.00 एएम पर उपलब्ध करवाने हेतु अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर को निवेदन किया गया। दिनांक 25.01.2025 को वक्त 07.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दसुदा स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक एवं श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय हाजा पर उपस्थित आये एवं पूर्व से पाबंदसुदा कार्यालय हाजा का ब्यूरो जाब्ता कार्यालय में उपस्थित है। तत्पश्चात समय 07.05 ए.एम. पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो स्पेशल यूनिट जोधपुर से ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सहायक उप निरीक्षक एवं श्रीमती मधुमति हैड कानि. ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु उपस्थित आये। वक्त 7.15 ए.एम. पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अलमारी का ताला खुलवाकर अलमारी मे से पूर्व में सफेद लिफाफे में रखी हुई रिश्वती राशि 10,000/- रुपये स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक से निकलवाकर उनके पास ही सुरक्षित रखवाई गई। तत्पश्चात वक्त 7.35 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक, श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्रीमती मधुमति हैड. कानि. श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री बलराम कानि. 252 एवं मय ट्रेप बाक्सॅ, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री रामसिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 21.01.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है एवं मेग लाईट (टार्च), ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर, एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली लेकर निजी वाहन जी.जे. 09 बी.बी. 1083 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के एसीबी कार्यालय जोधपुर ग्रामीण से ग्राम केतूकला की तरफ रवाना हुआ। वक्त 8.30 ए.एम. पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक, श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि0 61, श्रीमती मधुमति हैड. कानि. श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि0 260, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री बलराम कानि. 252 एवं मय ट्रेप बाक्स, डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड, दो अतिरिक्त मैमोरी कार्ड, व कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड जिसमे परिवादी श्री रामसिंह एवं संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द लाईनमैन के मध्य हुई दिनांक 21.01.2025 की रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर एवं परिवादी के कार्यवाही से संबंधित पत्रावली के निजी वाहन जी.जे. 09 बी.बी. 1083 एवं सरकारी वाहन बोलेरो नम्बर आरजे 14 यूडी 1395 मय चालक श्री लालाराम के 54 मील पहुंचे जंहा पर पूर्व से पाबन्द सुदा परिवादी श्री रामसिंह अपनी केम्पर गाडी सहित उपस्थित मिला। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामसिंह को अपने स्तर पर श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन की उपस्थिति के बारे मे मालूमात करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री रामसिंह ने अपने स्तर पर श्री खेमचन्द लाईनमेन की उपस्थिति के बारे मे मालूमात करना शुरु किया

गया। तत्पश्चात वक्तः- 8.35 ए.एम. पर परिवादी श्री रामसिंह ने मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि श्री श्री खेमचन्द लाईनमेन की उपस्थिति के बारे मे मालूमात किया है। श्री खेमचन्द लाईनमेन अभी अपने अस्थाई निवास स्थान केतुकला मे उपस्थित हैं। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री रामसिंह की जामा तलासी स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह से लिवाई जाकर परिवादी के पास अपना मोबाईल फोन एवं पीकअप गाडी की चाबी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि एवं दस्तावेजात नही रहने दिये गये। तत्पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह के पास सफेद लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 10,000/- रूपये को उसकी जेब से निकलवाई जाकर लिफाफे से बाहर निकलवाकर रिश्वती राशि को परिवादी श्री रामसिंह के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखवाये गये। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह से उक्त सफेद लिफाफा जिसमे रिश्वत राशि रखी गई थी उक्त सफेद लिफाफे को जला कर नष्ट करवाया गया इसके पश्चात् परिवादी को छोडकर समस्त पार्टी की आपस में जामा तलाशी लिरवाई गई तो ट्रेप दल में ब्यूरों स्टाफ के पास स्वयं के मोबाईल एवं विभागीय परिचय पत्र तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास आकस्मिक खर्च के 8300/- रू0 रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी एवं गवाहान के हाथ साफ पानी से धुलवाये गये। तत्पश्चात वक्त 8.40 ए एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर में नया मैमोरी कार्ड डालकर डिजीटल वायस रिकार्डर का खाली होना सुनिश्चित कर श्री रामकिशोर कानि. को सुपर्द कर परिवादी श्री रामसिंह के साथ परिवादी की पीकअप गाडी से श्री संजय कानि. 587 व स्वतंत्र गवाहान श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी के ग्राम केतूकला के लिए आवश्यक हिदायत कर रवाना किया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह, ब्यूरो जाब्ता हमराहान के निजी वाहन जी.जे. 09 बी.बी. 1083 एवं सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638 मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित दस्तावेज के 54 मील से ग्राम केतूकला के लिए रवाना हुए वक्त 8.55 ए एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह, ब्यूरो जाब्ता के हमराहान निजी वाहन जी.जे. 09 बी.बी. 1083 व सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री लालाराम नम्बर 638, श्री ओमप्रकाश कानि. मय ट्रेप बाक्स, प्रिन्टर, लेपटाप एवं परिवादी के कार्य से सम्बधित पत्रावली के ग्राम पंचायत केतूकला के पास पहुच वाहनों को रोड के साईड में एक तरफ गोपनीय स्थान पर खडे करवाये गये इसी दौरान परिवादी श्री रामसिंह एवं श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री संजय कानि. 587 एवं स्वतंत्र गवाह श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी परिवादी की केम्पर गाडी से उपस्थित आये जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय का डिजीटल वायस रिकार्डर चालू करवा कर परिवादी श्री रामसिंह को सुपर्द करवाकर परिवादी को पैदल ही संदिग्ध आरोपी श्री खेमचन्द सैनी से रिश्वत राशि लेन-देन करने हेतु संदिग्ध आरोपी के अस्थाई निवास किसान सेवा केन्द्र व भू-अभिलेख कार्यालय भवन के लिए रवाना किया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, दोनों स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो जाब्ता आरोपी के अस्थाई निवास स्थान किसान सेवा केन्द्र व भू-अभिलेख कार्यालय भवन के आस-पास अपनी-अपनी उपस्थिति छुपाते हुए परिवादी के गोपनीय ईशारे के इन्तजार में मुकिम रहे। तत्पश्चात वक्त 9.11 ए एम. पर परिवादी रामसिंह पुत्र श्री सांगसिह जाति राजपूत उम्र 40 साल निवासी केतु कलां सेखाला जिला जोधपुर ने पूर्व निर्धारित गोपनीय इशारा अपने सिर पर आगे से पीछे हाथ फेर कर किया। जिस पर मन् पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उक्त दोनों स्वतन्त्र मौतबिरान श्री महेन्द्रसिंह व श्री जसवन्तसिंह, ब्यूरो दल के सदस्य श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि 61., श्रीमती मधुमति हैड कानि 89, श्री बचनाराम कानि. 447, श्री संजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि. 13, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री बलराम कानि. 252 हमराह लेकर किसान सेवा केन्द्र व भू-अभिलेख कार्यालय भवन के मुख्य द्वार के पास पहुचे जंहा पर परिवादी श्री रामसिंह एवं उसके सामने एक व्यक्ति पेन्ट शर्ट पहने हुए खडे हुए मिले। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को पूर्व मे दिया गया डिजिटल वायस रिकार्डर परिवादी से प्राप्त कर स्वीच आफॅ कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित अपने पास रखा जाकर डिजिटल वायस रिकार्डर मे रिकार्ड वार्ता का आईन्दा फर्द ट्रान्सक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री रामसिंह ने उसके सामने पेन्ट शर्ट पहने हुए व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यह श्री खेमचन्द तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) केतुकला हैं जिन्होने अभी-अभी मेरे से ईशारे से मांग कर 10,000/- रुपये अपने दाहिने हाथ मे लेकर गिनकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखे है। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा अपना व हमराहियान का उक्त व्यक्ति को परिचय दिया जाकर उक्त व्यक्ति का परिचय पूछने पर उसने अपना नाम आरोपी श्री खेमचन्द सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 डेरा वाली ढाणी, पोदार कालेज के पीछे, नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुझनु हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला होना बताया। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु गवाहान के परिवादी की तरफ ईशारा कर पूछा कि आप इन्हे जानते हो जिस पर आरोपी खेमचन्द सैनी ने बताया कि मै इनको जानता हुं ये श्री रामसिंह हैं, जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी से पूछा गया कि आपने अभी-अभी श्री रामसिंह से किसी प्रकार की राशि प्राप्त की हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि मैने श्री रामसिंह को कुछ समय पहले उसके पैर मे चोट लग जाने के कारण पट्टी करवाने हेतु पैसे उधार

दिये थे। जो आज वापिस दिये जिस पर पास ही खडे परिवादी श्री रामसिंह ने आरोपी के उक्त कथनो का खण्डन करते हुए बताया कि मैने श्री खेमचन्द से किसी प्रकार की राशि उधार नही ली थी न ही मेरे पैर में कोई चोट लगी थी, मैने तो पैरो में चोट लगने का ऐसे ही बहाना बनाया था। श्री खेमचन्द लाईनमेन ने मुझे पूर्व में मेरे बिजली कनेक्शन पर एक लाख रूपये की शीट फाडने का भय दिखाया था व मेरे केबल स्टार्टर लेकर चला गया था, श्री खेमचन्द ने इसकी एक लाख रूपये की शीट नही फाडने एवं केबल स्टाटर वापस देने के बदले मेरे से 15,000/- रूपये की रिश्वत की मांग की थी तथा दिनांक 21.01.2025 को दौराने मांग सत्यापन श्री खेमचन्द लाईनमेन ने मेरे से 3,000/रूपये लिये थे तथा शेष राशि 12,000/- रूपये में से मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 10,000/- रुपये की रिश्वत राशि लेने पर सहमति प्रदान की थी उक्त रिश्वत राशि 10,000/- रूपये अभी कुछ समय पहले इन्होने मेरे से इशारे से मांग कर अपने दाहीने हाथ में लेकर गिन कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहीनी जेब में रखी हैं। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला का दाहीना हाथ श्री ओमप्रकाश कानि. 260 व बांया हाथ श्री रामकिशोर कानि. 13 से कलाईयों के उपर से पकड़वाया गया। चूंकि उक्त स्थान पर आमजन की ज्यादा भीडभाड हो जाने एवं अग्रिम ट्रेप कार्यवाही की उचित व्यवस्था नही होने से व सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस चोकी सेखाला मे करने का निर्णय लिया जाकर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी को यथा स्थिति में ही मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के सरकारी बोलेरो मे बैठाकर, परिवादी श्री रामसिंह व स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री महेन्द्रसिंह एवं जसवन्तसिंह ब्यूरो जाब्ता को हमराह लेकर सरकारी वाहन बोलेरो, निजी वाहन एवं परिवादी के वाहन से वक्त 9.35 ए.एम पर पुलिस चोकी सेखाला पहुचे। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस चैकी सेखाला पर उपस्थित श्री महिपाल कानि. 1071 को अपना व हमराहियान का परिचय देकर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस चोकी पर करने की सहमति प्राप्त कर रोजनामचा मे आमद दर्ज करवाई गई। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री खेमचंद सैनी से पुनः तसल्ली पूर्वक पूछा गया कि आपने परिवादी श्री रामसिंह से आज जो राशि प्राप्त की गई हैं वह राशि किस बात के लिये ली गई हैं तो आरोपी श्री खेमचन्द सैनी ने रुबरु स्वतंत्र गवाहान के बताया कि मैं कुछ दिन पहले श्री रामसिंह के केतु गांव में स्थित ट्यूबवेल पर गया था जंहा पर श्री रामसिंह ने बिजली कनेक्शन ले रखा है, वर्तमान में इसका कनेक्शन सिगल फेस में चल रहा है, जिसमें घर में लाईट हेतु व होद से पानी निकालने हेतु मोटर लगा रखी है। श्री रामसिंह के ट्यूबवेल खराब होने के कारण कनेक्शन अब थ्री फेस की जगह सिगल फेस में जुडवा रखा है इसलिए मैने श्री रामसिंह के बिजली कनेक्शन के केबल व स्टाटर लेकर उसे एक लाख रूपये की शीट भरने का भय दिखाकर 15,000/- रूपये की मांग की थी तथा दिनांक 21.01.2025 को श्री रामसिंह से 3,000/- रूपये लिये थे तथा शेष राशि 12,000/- रूपये मे से श्री रामसिंह के द्वारा मेरे से कुछ कम करने का कहने पर मैने 10,000/- रूपये लेने की सहमति प्रदान की थी। उक्त राशि 10,000/- रूपये मैने आज श्री रामसिंह से प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब में रखी है। जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी को पूछा गया कि आप द्वारा परिवादी श्री रामसिंह से प्राप्त की गई राशि मे और किस-किस का हिस्सा हैं जिस पर आरोपी ने बताया कि उक्त राशि मैने मेरे लिये ही ली हैं उक्त राशि मे अन्य किसी व्यक्ति का कोई हिस्सा नही हैं। तथा दिनांक 21.01.2025 को परिवादी श्री रामसिंह से 3,000/- रूपये प्राप्त करने बाबत पूछा तो श्री खेमचन्द सैनी ने बताया कि उक्त रिश्वति राशि मैने मेरे लिए ही प्राप्त की थी। मैने राशि खर्च कर दी है, एवं कंहा कि साहब मेरे से गलती हो गई हैं माफ कर दो। तत्पश्चात पुलिस चोकी सेखाला बने कक्ष मे पहुच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं परिवादी की उपस्थिति में दो साफ प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकालवाकर दोनो गिलासो मे पुलिस चोकी सेखाला मे रखे कैम्पर से पीने का साफ पानी बोतल भरकर मंगवाई जाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाया गया एवं उक्त प्लास्टिक गिलासो मे एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के एक गिलास मे आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के दांहीने हाथ की अंगूलियों व अंगुष्ठ को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया, जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त धोवन का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क आरएच-1, आरएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात दुसरी घोल के गिलास मे आरोपी खेमचन्द सैनी के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुष्ठ को डूबवाकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर मटमैला हो गया जिसे सभी उपस्थितान ने उक्त घोल का रंग मटमैला होना स्वीकार किया। उक्त मटमैला धोवन को भी आधा-आधा दो कांच की साफ षिषियो मे भरवाकर उक्त शिशियो पर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सील्ड मोहर कर मार्क एलएच-1, एलएच-2 अंकित किया गया। तत्पश्चात मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतन्त्र गवाह श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहीनी जेब की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहीनी जेब मे 500-500 रूपये नोटों का एक बण्डल मिला जिस पर मन

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाह श्री जसवन्तसिंह सहायक प्रशासनिक अधिकारी से उक्त 500-500 रुपये के नोटो के बण्डल की गिनती करवाई गई तो 500-500 रूपये के कुल 20 नोट कुल 10,000/- रुपये होना पाये गये। उक्त राशि के अतिरिक्त पेन्ट की उक्त जेब में एक 100 रूपये का नोट व एक 10 रूपये का नोट एवं सफेद कागज जिस पर ग्राम केतु के बिजली के मीटरो की रिडिग लिखी हुई मिले। स्वतन्त्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह सूचना सहायक को इस प्रकरण से संबंधित पूर्व में तैयार शुदा फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि देकर उक्त बरामदा नोटों के नम्बरों का मिलान स्वतन्त्र गवाह श्री जसवन्तसिंह द्वारा बोल बोलकर करवाया गया तो उक्त नोटों के नम्बर हुबहु पाये गये। उक्त रिश्वति राशि के नोटो के नम्बर अंकित कर उक्त बरामद रिश्वति राशि को एक सफेद कपड़े में कोने से सिलाई कर सील चिट कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पष्चात रिश्वति राशि के अतिरिक्त आरोपी की पेन्ट की दाहिनी जेब में एक 100 रूपये का नोट व एक 10 रूपये का नोट कुल 110/- रूपये एवं सफेद कागज जिस पर ग्राम केतु के बिजली के मीटरो की रिडिग लिखी हुई मिले जिस सम्बध में आरोपी श्री खेमचन्द सैनी से पूछने पर बताया कि कुल 110/- रूपये मेरे खर्चे के है एवं सफेद कागज जिस पर ग्राम केतु के घरो के बिजली के मीटरो की रिडिग लिखी हुई है आरोपी श्री खेमचन्द सैनी का जबाब सन्तोषप्रद होने से उक्त राशि 110/- रूपये एवं सफेद कागज आरोपी श्री खेमचन्द सैनी को सुपुर्द किये गये। रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब का धोवन लिया जाना आवश्यक होने से आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) के पहनने हेतु एक अन्य लोअर की व्यवस्था करवाई जाकर आरोपी के पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उक्त अन्य लोअर पहनाया गया। तत्पश्चात एक प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास ट्रेप बाक्स से निकलवाकर पुलिस चोकी सेखाला के कैम्पर से साफ पानी की बोतल भरकर मंगवाई जाकर प्लास्टिक की पारदर्शी डिस्पोजल गिलास मे साफ पानी भरवाकर उक्त गिलास मे एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट का पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। जिसे सभी उपस्थितान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल के गिलास में आरोपी खेमचन्द सैनी के वक्त घटना पहनी हुई चोकडीदार हल्के काले रंग की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को उलटवाकर उक्त गिलास रंगहीन घोल मे डूबोवाकर धुलवाया गया तो उक्त रंगहीन घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो गया। जिसे सभी उपस्थितान ने घोल का रंग गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त गुलाबी धोवन को दो साफ कांच की शिशियों मे आधा-आधा भरवाकर कागज के चस्पो पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर सीलड मोहर कर मार्क पी-1, पी-2 अंकित किया गया तथा उक्त चोकडीदार हल्के काले रंग की पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब को सुखाकर उस पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर उक्त पेन्ट को कपड़े के पैकेट मे डालकर पैकेट पर कार्यवाही का विवरण अंकित कर सीलड मोहर कर पैकेट पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये व पैकेट पर मार्क-पी अंकित किया गया। उक्त ट्रेप कार्यवाही दौरान आरोपी से बरामद हुई रिष्वती राषि 10,000/- रूपये, आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशिन प्रथम (लाईनमेन) के दोनों हाथो के लिये गये धोवन, आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशिन प्रथम (लाईनमेन) से की गई पूछताछ इत्यादि का मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल फोन से विडियोग्राफी की गई। उक्त विडियोग्राफी का आईन्दा मैमोरीकार्ड तैयार करने का निर्णय लिया गया। आरोपी श्री खेमचन्द तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला से की गई पूछताछ व हाथ धोवन एवं अब तक की कार्यवाही से आरोपी श्री खेमचन्द सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्ॅबर 02 डेरा वाली ढाणी, पोदार कालेज के पीछे, नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुझनु हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला द्वारा परिवादी श्री रामसिंह के बिजली कनेक्शन के केबल व स्टाटर छोडने एवं परिवादी को एक लाख रूपये की शीट भरने का भय दिखाकर पूर्व में 15,000/- रूपये की मांग करना तथा दिनांक 21.01.2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादी रामसिंह से 3,000/- रूपये मांग कर प्राप्त करना तथा शेष राशि 12,000/- में से परिवादी रामसिंह द्वारा कुछ कम करने का कहने पर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा आज दिनांक 25.01.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री रामसिंह से 10,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार होना पाया गया है। आरोपी श्री खेमचन्द तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द बरामदगी अलग से तैयार कर शामिल रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः 12.50 पी.. एम पर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन का सेवा विवरण उपलब्ध करवाने हेतु तथा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी लाईन मेन की आवाज पहचान हेतु दो सहकर्मी पुलिस चोकी सेखाला भिजवाने हेतु जरिये दुरभाष कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला को निर्देशित किया गया। वक्त- 1.10 पी.एम पर पूर्व से पाबंद सुदा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन के सहकर्मी श्री प्रवीण वाणिज्यिक सहायक प्रथम व श्री सुमेरसिंह सहायक प्रथम उपस्थित आये जिस पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रुबरु स्वतंत्र गवाहान के आरोपी श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन एवं परिवादी श्री रामसिह के

मध्य हुई दिनांक 21.01.2025 को रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता एवं दिनांक 25.01.2025 को रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर के मैमोरीकार्ड मे रिकार्ड हैं उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरीकार्ड को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर कार्यालय के लेपटाप के इनबिल्ट स्पीकर की सहायता से उक्त दोनो वार्ताओ के मुख्य-मुख्य अंश बारी-बारी से रुबरु गवाहान के पहचानकर्ताओ को सुनाई गई तो दोनो आवाज पहचानकर्ता श्री प्रवीण वाणिज्यिक सहायक प्रथम व श्री सुमेरसिंह सहायक प्रथम ने रिकार्ड वार्ता को सुन समझ तसल्ली कर बताया कि उक्त दोनो वार्ताओ मे एक आवाज श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन की ही हैं तथा उक्त रिकार्ड वार्ताओ मे दूसरी आवाज को हम नही पहचानते हैं। फर्द आवाज पहचान अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिंग नोट की गई। तथा श्री प्रवीण वाणिज्यिक सहायक प्रथम ने आरोपी श्री खेमचन्द सैनी लाईनमेन का सेवा विवरण प्रस्तुत किया जिसे बाद अवलोकन शामिल रंनिग नोट किया गया। ताबाद श्री प्रवीण वाणिज्यिक सहायक प्रथम व श्री सुमेरसिह सहायक प्रथम को को रुखसत दी गई। तत्पश्चात वक्त 1.40 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी के लिये गये धोवनों की शील्ड सुदा शीशीयां, पेन्ट का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वति राशि का शील्ड सुदा पैकेट, रिश्वती राशि मांग सत्यापन एवं वक्त लेन-देन वार्तालाप का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड इत्यादि प्रार्दश एवं ट्रेप बाक्स को साथ लेकर कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिंह व श्री जसवन्तसिंह, परिवादी श्री रामसिंह तथा ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड. कानि0 61, श्रीमती मधुमति हैड. कानि. 89 मय सरकारी वाहन बोलेरा व चालक श्री लालाराम के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करने हेतु आरोपी श्री खेमचन्द सैनी का अस्थाई निवास किसान सेवा केन्द्र एवं भू-अभिलेख कार्यालय केतुकला के लिये रवाना हुआ । आरोपी श्री खेमचन्द सैनी को शेष ब्यूरो जाब्ता की निगरानी मे पुलिस चोकी सेखाला पर ही छोडा गया। वक्त 2.00 पी. एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमरायान के फिगरा उपरोक्त का रवाना सुदा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी का अस्थाई निवास किसान सेवा केन्द्र एवं भू-अभिलेख कार्यालय केतुकला पहुंच परिवादी श्री रामसिंह की निशोदही से रुबरु गवाहान के फर्द घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब करना शुरू किया। वक्त 02.30 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री महेन्द्रसिंह, श्री जसवन्तसिंह एवं परिवादी श्री रामसिंह तथा ब्यूरो जाब्ता श्री अचलाराम हैड कानि. 61 के घटनास्थल नक्शा मौका मुर्तिब कर शामिल रंनिग नोट किया गया। फर्द नक्शा मौका घटनास्थल के अनुसार रिश्वति राशि लेन-देन प्राप्ति स्थल से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय एक स्वतंत्र गवाह श्री महेन्द्रसिंह एवं श्री मेघराज सउनि व श्री अचलाराम हैड कानि. 61 की दूरी करीब 150 मीटर, श्री रामकिशोर कानि. व श्री संजय कानि. 587 की दूरी 50 मीटर, स्वतंत्र गवाह जसवन्तसिंह की दूरी 60 मीटर, श्रीमती मधुमति हैड. कानि. मय कानि. बचनाराम कानि. 447 मय सरकारी बोलेरो चालक लालाराम 300 मीटर की दूरी पर एवं श्री ओमप्रकाश कानि. 260 घटनास्थल से 40 मीटर की दुरी पर स्थित होना दर्शायी गई है तथा घटनास्थल का निरीक्षण के दौरान सूर्य की पूर्ण रोशनी थी। ताबाद घटना मौका स्थल से रवाना होकर पुलिस चोकी सेखाला उपस्थित आया। आरोपी श्री खेमचन्द सैनी को स्वंय के जिम्मे लिया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89 के आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के अस्थाई निवास किसान सेवा केन्द्र एवं भू-अभिलेख कार्यालय केतुकला आवास में प्रवेश किया तो गैस चूल्हा, रसोई का सामान, पहनने के कपडे व दो चारपाई बिस्तर रखे हुए पाये गये थे अतः आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के अस्थाई आवास की खाना तलाशी नहीं लेने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त 2.35 पी एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 डेरा वाली ढाणी, पोदार कालेज के पीछे, नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुझनु हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला को उनके द्वारा किये गये जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तारी जुदागाना मुर्तिब कर गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी अलग से मुर्तिब कर शामिल रनिग नोट की गई। वक्तः- 2.55 पी.एम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री रामसिह पुत्र सागसिह उम्र-40 वर्ष जाति-राजपूत निवासी केतुकला, तहसील सेखाला जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला के मध्य दिनांक 21.01.2025 को हुई रूबरू रिश्वती राशि मांग सत्यापन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी आरडी माईक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर लेप-टाप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-बशब्द श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) की तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामसिंह द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 8 जी.बी आरडी माईक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर के मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टाप मे कापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाप की मदद से एक अन्य 32 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार

करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता 8 जीबी आरडी माईक्रो मेमौरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 10.5 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है । उक्त मैमोरी कार्ड मूल मानते हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्त 3.40 पी एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान के रूबरू परिवादी श्री रामसिह पुत्र सागसिह उम्र-40 वर्ष जाति-राजपूत निवासी केतुकला, तहसील सेखाला जिला जोधपुर एवं आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला के मध्य दिनांक 25.01.2025 को हुई रूबरू रिश्वती राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी आरडी गोल्ड माईक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपनी अभिरक्षा से निकालकर रूबरू गवाहान व परिवादी के उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर मय मेमौरी कार्ड को कार्यालय के लेप-टाप से जोडकर लेप-टाप के इनबिल्ट स्पीकर की मदद से सुन-सुन कर शब्द-बशब्द श्री रामकिशोर कानि. 13 की सहायता से रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार करवाई जाकर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर शामिल रंनिग नोट की गई। आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) की तथा परिवादी स्वयं की आवाज की पहचान परिवादी श्री रामसिंह द्वारा की गई। उपरोक्त वार्तालाप कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे 4 जी.बी आरडी गोल्ड माईक्रो मैमोरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी। उक्त डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड मे रिकार्ड वार्ता की श्री रामकिशोर कानि. 13 से कार्यालय के लेप-टाप मे कापी करवाई जाकर उक्त वार्ता की लेप-टाप की मदद से एक अन्य 32 जीबी का मैमोरी कार्ड तैयार करवाया गया। उक्त मैमोरी कार्ड को डब मैमोरी कार्ड मानते हुए खुला ही रहने दिया गया। रिश्वत राशि वक्त लेन- देन वार्ता 4 जीबी आरडी गोल्ड माईक्रो मेमौरी कार्ड में रिकार्ड की गई थी जो कुल वार्ता 7.93 एम.बी. की है तथा शेष मैमोरी कार्ड खाली है। उक्त मैमोरी कार्ड मूल मानते हुए डिजिटल वाईस रिकार्डर मे से बाहर निकाल कर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मैमोरी कार्ड को रुबरु गवाहान व परिवादी के एक कपडे की थैली मे डलवाकर, थैली के मुंह की सिलाई करवाकर, थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर, शील्ड मोहर कर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाये गये। फर्द अलग से तैयार कर शामिल रनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः- 4.50 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री महेन्द्रसिंह श्री जसवन्तसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री संजय कानि. 587, श्री रामकिशोर कानि0 13, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, श्री बलराम कानि. 252 के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये एवं दिनांक 21.01.2025 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरीकार्ड, दिनांक 25.01.2025 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, आरोपी का सेवा विवरण तथा प्रकरण की पत्रावली इत्यादि एवं दोनों डिजिटल वायस रिकार्डर, ट्रेप बाक्स, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर तथा गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) तथा परिवादी श्री रामसिंह मय आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के मेडिकल करवाने हेतु तेहरीर हमराह लेकर पुलिस चोकी सेखाला से जरिये सरकारी/निजी वाहनो मय चालको के रवाना कार्यालय को हुआ। वक्तः- 05.10 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान एवं ट्रेप कार्यवाही में जब्तसुदा आर्टीकल एव ट्रेप सामग्री के फिगरा उपरोक्त रवाना सुदा सीएचसी बालेसर पहुंचा जंहा पर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशिन प्रथम (लाईनमेन) का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर शामील रंनिग नोट की गई। तत्पश्चात वक्तः- 05.30 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय समस्त हमरायान एवं ट्रेप कार्यवाही में जब्तसुदा आर्टीकल एव ट्रेप सामग्री मय सरकारी/ निजी वाहनो के बाद मेडिकल सीएचसी बालेसर से रवाना एसीबी चोकी जोधपुर ग्रामीण के लिये रवाना होकर केरू गांव के पास पहुचा जंहा पर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी की स्वास्थ्य खराब होने पर तुरन्त ही त्रिनय अस्पताल डालीबाई मन्दिर जोधपुर पहुंच कर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी का प्राथमिक उपचार ई.सी.जी. ब्लड टेस्ट, सुगर टेस्ट करवाकर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी के मेडिकल सुपरविजन हेतु त्रिनय अस्पताल से मय आरोपी मय समस्त जरिये वाहनो से रवाना होकर मथुरादास माथुर अस्पताल पहुंच आरोपी श्री खेमचन्द को मेडिशन आपातकालीन गेट नम्बर 02 में भर्ती करवाकर आरोपी की निगरानी हेतु श्री रामकिशोर कानि. 13 व श्री बलराम कानि. 252 को मामुर किया गया तथा पुलिस लाईन आयुक्तालय जोधपुर से आरोपी की निगरानी हेतु पुलिस गार्ड भिजवाने हेतु पत्र जारी कर जरिये दुरभाष

निर्देशित किया गया। तत्पश्चात वक्तः- 09.15 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, स्वतन्त्र मौतबिरान श्री महेन्द्रसिंह श्री जसवन्तसिंह, परिवादी श्री रामसिंह, ब्यूरो जाब्ता श्री मेघराज सउनि, श्री अचलाराम हैड कानि. 61, श्रीमती मधुमति हैड कानि. 89, श्री बचनाराम कानि. 447 श्री संजय कानि. 587, श्री ओमप्रकाश कानि. 260, के ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी एवं आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये एवं दिनांक 21.01.2025 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरीकार्ड, दिनांक 25.01.2025 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे, आरोपी का सेवा विवरण तथा प्रकरण की पत्रावली इत्यादि एवं दोनों डिजिटल वायस रिकार्डर, ट्रेप बाक्स, मेग लाईट (टार्च), एवं ट्रेप सामग्री, लैपटाप, प्रिन्टर के जरिये सरकारी वाहन बोलेरो चालक लालराम कानि. चालक एवं निजी वाहन के एम.डी.एम. अस्पताल जोधपुर से एसीबी चोकी जोधपुर ग्रामीण के लिए रवाना हुआ। तत्पश्चात वक्तः- 09.30 पी.एम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मय समस्त हमराहीयान के मय जब्त शुदा आर्टिकल व ट्रेप सामग्री के फिकरा उपरोक्त का मथुरादास माथूर अस्पताल जोधपुर से सरकारी/निजी वाहनो से रवाना सुदा कार्यालय हाजा पहुंच प्रकरण हाजा से संबंधित मालखाना आईटम क्रमंशः आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम के दोनो हाथो एवं उनके पहनी हुई पेन्ट के सामने की दाहिनी जेब से लिये गये धोवनो की शील्डसुदा शिशियां मार्क आरएच-1, आरएच-2, एलएच-1, एलएच-2, पी-1, पी-2, एवं पेन्ट का शील्डसुदा पैकेट मार्क-पी, आरोपी से बरामदा शील्डसुदा रिश्वती राशि 10,000/- रुपये, दिनांक 21.01.2025 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रिश्वत राशि माग सत्यापन रुबरु वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरीकार्ड तथा दिनांक 25.01.2025 को आरोपी श्री श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम व परिवादी श्री रामसिंह के मध्य हुई रुबरु रिश्वत राशि वक्त लेन-देन वार्तालाप का मूल मैमोरी कार्ड का शील्डसुदा पैकेट एवं उक्त वार्ता का एक डब मैमोरी कार्ड खुली हालात मे मालखाना प्रभारी श्री अचलाराम हैड कानि0 61 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर मे इन्द्राज करवाया जाकर जमा मालखाना किया गया। तत्पश्चात वक्तः- 10.00 पी.एम पर मन पारस सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकरण हाजा के स्वतंत्र गवाहान सर्व श्री महेन्द्रसिंह एवं श्री जसवन्तसिंह तथा परिवादी श्री रामसिंह को रुखसत दी गई तथा श्री अचलाराम हैड कानि. 61 को आरोपी श्री खेमचन्द सैनी की निगरानी डयुटी हेतु आवश्यक हिदायत देकर मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर रवाना किया गया। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला द्वारा परिवादी श्री रामसिंह के बिजली कनेक्शन के केबल व स्टाटर छोडने एवं परिवादी को एक लाख रूपये की शीट भरने का भय दिखाकर पूर्व में 15,000/- रूपये की मांग करना तथा दिनांक 21.01.2025 को दौराने रिश्वत राशि मांग सत्यापन परिवादी रामसिंह से 3,000/- रूपये मांग कर प्राप्त करना तथा शेष राशि 12,000/- में से परिवादी रामसिंह द्वारा कुछ कम करने का कहने पर आरोपी श्री खेमचन्द सैनी द्वारा 10,000/- रूपये की रिश्वत राशि लेने हेतु सहमत होना तथा आज दिनांक 25.01.2025 को वक्त ट्रेप कार्यवाही परिवादी श्री रामसिंह से 10,000/- रूपये रिश्वती राशि प्राप्त कर अपनी पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब मे रखना जहां से रुबरु गवाहान के उक्त रिश्वती राशि 10,000/- रुपये बरामद होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। आरोपी का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) की धारा 7 के तहत दण्डनीय अपराध कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपी श्री खेमचन्द सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 डेरा वाली ढाणी, पोदार कालेज के पीछे, नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुझनु हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला के दोनो हाथो के अंगूलियों/अंगुष्ठ के लिये गये धोवनो का रंग क्रमशः गुलाबी एवं मटमेला आना, रिश्वति राशि बरामदगी स्थल आरोपी के पहनी हुई पेन्ट की सामने की दाहिनी जेब का लिया गया धोवन गुलाबी होना पाया गया। इस तरह आरोपी श्री खेमचन्द सैनी तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला का उपरोक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का कारित किया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया जाता हैं। लिहाजा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार ब्यूरो मुख्यालय जयपुर वास्ते क्रमांकन जरिये ई-मेल प्रेषित की जा रही है। एसडी/- (पारस सोनी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण............कार्यवाही पुलिस.................... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री पारस सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर ग्रामीण ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार

निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री खेमचन्द सैनी पुत्र श्री रामचन्द्र जाति माली उम्र 43 वर्ष निवासी वार्ड नम्बर 02 डेरा वाली ढाणी, पोदार कालेज के पीछे, नवलगढ पुलिस थाना नवलगढ जिला झुझनु हाल तकनीशियन प्रथम (लाईनमेन) 33/11 के.वी. जी.एस.एस. 54 मील से केतु गांव फीडर पर लाईनमैन/सी.सी.ए. कार्यालय सहायक अभियन्ता (पवस) जोधपुर डिस्काम सेखाला, जिला जोधपुर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री किशन सिंह, उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर शहर, जोधपुर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम रिपोर्ट 441 पर अंकित है। (ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 65-68 दिनांक 26.01.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, क्रम संख्या-1 जोधपुर, 2. अधीक्षण अभियंता(जिला वृत्त), जोधपुर डिस्काम जोधपुर, ऑल्ड पॉवर हाउस जोधपुर। 3. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर, 4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर ग्रामीण। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** KISHAN SINGH **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/01/2025 [illegible]

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/12/1981				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)